सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 6, सोमवार, शाके 1944-जून 27, 2022 *Asadha 6, Monday , Saka 1944- June 27, 2022*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 13, 2022

संख्या जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी-1637 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना पटेल नगर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 287-288 क्षेत्रफल 1060.06 वर्ग गज भूमि, जिसका भू उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 में 15 मीटर गहराई तक व्यावसायिक तत्पश्चात् आवासीय दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक (पर्यटन इकाई होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने बाबत् अधिसूचना दिनांक 11.12.2021 द्वारा आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के पत्र क्रमांक टीपीआर 1120/एसएलसी/जविप्रा जयपुर/03/2022/4578-83 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा में स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना पटेल नगर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 287-288 क्षेत्रफल 1060.06 वर्ग गज भूमि, जिसका भू उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 में 15 मीटर गहराई तक व्यावसायिक तत्पश्चात् आवासीय दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार आवासीय से व्यावसायिक (पर्यटन इकाई होटल) भू उपयोग प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की स्वीकृति पत्र क्रमांक टीपीआर 1120/एसएलसी/जविप्रा जयपुर/03/2022/ 4578-83 दिनांक 19.05.2022 द्वारा लगाई गई शर्तों के अध्यधीन किया जाता है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13/06/2022 को जारी की गई है।

उज्ज्वल राठौड़,

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।